सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 फाल्गुन, 1940 (श०)

संख्या- 179 राँची, शुक्रवार, 1 मार्च, 2019 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

अधिसूचना

1 मार्च, 2019

संख्या:- 01/नीति-30/2018- 434-- विभागीय संकल्प संख्या 1/नीति-05-07/2015-356 दिनांक 23.02.2017 की कंडिका 6 (v) को संशोधित करते हुए "झारखंड राज्य बिवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड के लिए खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु वार्षिक अनुज्ञाशुल्क की राशि रू० 50000/- प्रति दुकान से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 7 (सात) लाख रूपया प्रतिवर्ष किया जाता है।

2. एतदर्थ झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित गजट संख्या 144 दिनांक 23.02.2017 की कंडिका 6 (v) को इस हद संशोधित समझा जाय।

3. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापांक 262 दिनांक 12.02.2019 के क्रम में दिनांक 14.02.2019 के मद संख्या 04 में दी गई है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

वीरेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 179 -- 50